R/Rule

Medical Record Technician

(11)
1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

[F. No. 12018/7/2011-M-I]
ANITA MAHENDRU, Under Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 मई, 2014

सा.का.नि. 105.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलावती सरण बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

(1) (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलावती सरण बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) संशोधन भर्ती नियम, 2014 है ।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कलावती सरण बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 की अनुसूची में क्रम संख्यांक 15 में अभिलेख तकनीशियन और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15. चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन	5* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 2, 5200-20,200 रूपए और ग्रेड वेतन 2400	चयन	18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)

		(6)
		टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) भारत सरकार या किसी अन्य मान्यताप्राप्त निकाय से चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन का 6 माह का प्रशिक्षण; **वांछनीय** : किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्था से रजिस्ट्रीकरण और सांख्यिकी को उपदर्शित करने का अनुभव । **टिप्पण 1** : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । **टिप्पण 2** : राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन विरचित राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के अनुसार, अभ्यर्थी	आयु : नहीं, योग्यता : हां	सीधे भर्ती के लिए दो वर्ष

(7)

को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए । यदि उसे हिन्दी का ज्ञान नहीं है तो वह उसे परीवीक्षा अवधि के दौरान अवश्यक प्राप्त करना होगा ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रान्नति, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति,** कलावती सरण बाल चिकित्सालय में निम्न श्रेणी क्लर्क जिन्होंने उस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है और चिकित्सा अभिलेख कार्य में तीन वर्ष अनुभव हो । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरण बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली —अध्यक्ष 2. विभाग प्रमुख, संबद्ध, कलावती सरण बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(12)	
3. निदेशक या उप निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाओं में महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा इकाई का भार साधक	—सदस्य
3. उप निदेशक प्रशासन, कलावती सरण बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली	—सदस्य

[सं. ए-11018/10/2003-आरआर (एम एच-III)]

एस. आर. यादव, उप निदेशक (एम एच)

पाद टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. सं. 554, तारीख 23 अप्रैल, 1981 में प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 20th May, 2014

G.S.R. 105.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981, namely:-

1. (1) These rules may be called the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, (Group "C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, (Group 'C' posts) Recruitment Rules,] 981, for serial number 15 relating to the post of Record Technician and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely:-

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"15. Medical Record Technician	05* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus grade pay Rs. 2400	Selection	Between 18–27 years (Relaxable for Government servants up to forty years in the case of general candidates and upto forty five years in the case case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date

(6)
prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep. **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit the case of candidaets appointed through Employment Exchange shallb e the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : (i) 12th Standard pass from a recognised Board; (ii) Training as Medical Record Technicain for six months from an institute recognised by the Government of India or any other recognised body. **Desirable :** Experience in registration and statistics particularly in coding and indicating of record from a recognised hospital or institution. **Note 1 :** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Central Govenment is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Note 2:** According to Rule 10 of the Official Languages Rules, 1976, framed under the Official Languages Act, 1963, the candidate (s) should have the working knowledge of H indi. If he does not have the knowledge of Hindi, he must have to acquire the same during his probation period.	Age : No. Qualification : Yes	Two years for direct recruits

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
Promotion, failing which by direct recruitment	Promotion: Lower Division Clerk in Kalawati Saran Children's Hospital with eight years regular service in the grade and having three years experience in medical record work. **Note I :** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service, are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half or such qualifying or eligibility service or two years. whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already competed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promoting, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, expect where there has been merger or more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion orconfirmation) cosisting of : 1. Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi —Chairman 2. Head of the Department, concerned, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi —Member 3. Director or Deputy Director Administration, In-charge of Medical Education Division in Directorate General of Health Services, New Delhi —Member 4. Deputy Director Administration, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi —Member	Not applicable."

[No. A-11018/10/2003-RR (MH III)]

S. R. YADAV, Dy. Director (MH)

Footnote : The principal rules were published vide notification number G.S.R. No. 554, dated the 23rd April, 1981.